

केस न0.....

(कार्यालय प्रयोगार्थ)

## हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(कृपया दिए गए निर्देश पढ़ें)

प्रवर्जन (माईग्रेशन) प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र

अदा की गई राशि.....

बैंक ड्राफ्ट न0.....

बोर्ड रसीद संख्या.....

दिनांक .....

ख) एनरोलमेंट नम्बर .....

ग) परीक्षार्थी का नाम .....

पिता का नाम.....

इस बोर्ड से उत्तीर्ण पिछली परीक्षा का विवरण :

परीक्षा का नाम .....वर्ष .....सत्र .....अनुक्रमांक .....

प्राप्तांक .....श्रेणी .....

संस्था का नाम (यदि मान्यता प्राप्त है) या जिला का नाम जहाँ से स्वयंपाठी (प्राईवेट) विद्यार्थी ने पिछली परीक्षा पास की .....

विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम जहाँ आवेदक माईग्रेट होना चाहता है .....

पत्राचार का पता: .....

.....

.....

फोन न0: .....

दिनांक :.....

आवेदक के हस्ताक्षर

.....

(कार्यालय प्रयोगार्थ)

परीक्षार्थी के विवरण का सत्यापन कर लिया गया है। अतः माईग्रेशन प्रमाण-पत्र जारी करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करे।

अधीक्षक (प्रमाण-पत्र)

सहायक(प्रमाण-पत्र)

लिपिक (प्रमाण-पत्र)

## आवश्यक दिशा—निर्देश

1. सभी आवश्यक कालम आवेदक द्वारा सावधानीपूर्वक भरे जाने चाहिए। यदि आपका फार्म पूर्ण रूप से नहीं भरा है तो देरी के लिए कार्यालय की जिम्मेवारी नहीं होगी।
2. माईग्रेशन प्रमाण पत्र की फीस निम्न प्रकार से है —
  1. उनके लिए जिन्होंने आठवीं/दसवीं/बारहवीं परीक्षा पास की है। 300/— रुपये
  2. उनके लिए जिनका मूल माईग्रेशन प्रमाण पत्र खो गया है और जिन्हें दूसरा माईग्रेशन प्रमाण पत्र चाहिए। 300/— रुपये
3. माईग्रेशन शुल्क किसी भी केस/स्थिति में वापिस देय नहीं होगा।
4. माईग्रेशन प्रमाण पत्र आवेदन के पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर जारी कर दिया जाएगा, बशर्ते कि आवेदन पत्र पूरी तरह से भरा गया हो और वांछित शुल्क भी अदा किया गया हो। प्रार्थी के अलावा माईग्रेशन प्रमाण पत्र के लिए कोई अन्य व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता। माईग्रेशन प्रमाण पत्र पंजीकृत डाक द्वारा अथवा दस्ती प्राप्त कर सकते हैं।
5. नियमानुसार माईग्रेशन प्रमाण पत्र केवल उन विद्यार्थियों को जारी किया जा सकता है, जिन्होंने आठवीं/दसवीं/बारहवीं कक्षा इस बोर्ड से पास की हो। इन परीक्षाओं/कक्षाओं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी माईग्रेशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
6. माईग्रेशन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तक बोर्ड के साथ सभी प्रकार के पत्राचार में परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, उत्तीर्ण की गई परीक्षा का विवरण और बोर्ड की रसीद संख्या व अदा किए गए शुल्क की तारीख सहित सही जानकारी दी जानी चाहिए।
7. माईग्रेशन प्रमाण-पत्र हेतु बोर्ड कार्यालय की वैबसाइट पर आवेदन फार्म व हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन फार्म व शुल्क स्वीकृत होगा, जिसके लिए परिवार पहचान-पत्र की अनिवार्यता है।
8. अन्य राज्यों के परीक्षार्थी जिन्होंने आठवीं/दसवीं/बारहवीं कक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से उत्तीर्ण की है, वे माईग्रेशन प्रमाण-पत्र के लिए सम्बन्धित राज्यों की निवास सम्बन्धित दो पहचान-पत्र आवेदन-पत्र के साथ लगाकर ऑफलाईन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षार्थी इस आवेदन को रुपये 300/— का डिमांड ड्राफ्ट लगाकर डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के नाम देय होना चाहिए।
9. त्रुटिपूर्ण आवेदन होने पर त्रुटि के सम्बन्ध में आवेदक को फोन द्वारा या ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा। त्रुटि समाधान न होने पर आवेदन 15 दिन में रद्द कर दिया जाएगा।

नोट: परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले कोई भी माईग्रेशन प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।